पत्र सं0–6एस0एस0(6)66/2013 84 /

बिहार सरकार

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

प्रेषक,

उपेन्द्र नारायण महतो,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना–15, दिनांक– 8/1/ /2014

XX

अनौपचारिक रूप से **XX**

परामर्शित द्वाराः– **आन्तरिक वित्तीय सलाहकार**

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2013–14 में कुल ₹ 517.98 लाख (₹ पाच करोड़ सत्तरह लाख अन्ठानब्बे हजार) मात्र के अनुमानित लागत पर राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत मत्स्य उत्पादन में अभिवृद्धि की योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु सब्सिडी के रूप में व्यय करने की स्वीकृति।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त वित्तीय वर्ष 2013–14 में कुल ₹ 517.98 लाख (₹ पाच करोड़ सत्तरह लाख अन्ठानब्बे हजार) मात्र के अनुमानित लागत पर राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत मत्स्य उत्पादन में अभिवृद्धि की योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु सब्सिडी के रूप में व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की गई है (योजना का विस्तृत व्यय विवरणी संलग्न)।

2) इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में बढ़ती मछली की मांग को पूरा करने हेतु मत्स्योत्पादन में अभिवृद्धि करना है ताकि वर्त्तमान औसतन 1000 कि0 प्रतिवर्ष प्रति हैक्टेयर मत्स्य उत्पादकता को बढ़ाकर 2500 कि0 प्रतिवर्ष प्रति हैक्टेयर किया जा सके।

3) (क) पंगेशियस सूची कम समय में शीघ्र बढ़ने वाली विदेशी मछली है जो मीठे जल में पाली जाती है। कई राज्यों में सफलता पूर्वक पाली जा रही है। मात्र 6–8 माह में 1 से 1.5 कि0ग्रा0 की हो जाती है। वायुश्वासी होने के कारण कम घुलनशील ऑक्सीजन में भी

जीवित रहकर पर्याप्त वृद्धि कर सकती हैं। राज्य को मत्स्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में इसकी अहम भूमिका होगी। एक बार में 15–20 टन/हे0 उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है जो इंडियन मेजर कार्प के तुलना में पाँच गुणा अधिक है। इसके उच्च उत्पादन क्षमता के कारण यह मत्स्य राज्य के माँग को पूरा करने में सक्षम हो पाएगी। वित्तीय वर्ष 2012–13 में विभाग द्वारा पंगेशियस मत्स्य उत्पादन की योजना प्रारम्भ की गई जिसके परिणाम काफी उत्साहवर्धक रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2012–13 में 125.91 हे0 जलक्षेत्र में पंगेशियस का पालन किया गया तथा 1117.669 मीट्रिक टन पंगेशियस मत्स्य का उत्पादन हुआ।

(ख) यह योजना राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड, हैदराबाद द्वारा प्रायोजित है। प्रति हेक्टेयर पंगेशियस मत्स्य पालन पर ₹ 5.00 लाख व्यय होता है जिसमें 0.60 लाख मत्स्य बीज पर तथा 4.40 लाख मत्स्य आहार पर व्यय होता है। योजना हेतु चयनित मत्स्य पालकों को प्रति हेक्टेयर व्यय का 40 प्रतिशत यानि ₹ 2.00 लाख की राशि राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड, हैदराबाद द्वारा तथा 10 प्रतिशत अर्थात ₹ 0.50 लाख राज्य योजना से अनुदान के रूप में तथा शेष ₹ 2.50 लाख व्यवसायिक बैंकों/मार्जीन मनी से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। गत वर्ष यह योजना चलाई गई थी जिसमें 124 हे0 में पंगेशियस पालन किया गया था। 168 मत्स्यपालक लाभान्वित हुए ।

(ग) चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 में विभाग को पंगेशियस मत्स्य पालन हेतु 1012 आवेदन प्राप्त हुए हैं जिसका कुल जलक्षेत्र 833.93 हे0 है। इनमें से 137 आवेदकों को जिनका कुल जलक्षेत्र 105.98 हे0 है, वित्तीय वर्ष 2012–13 में राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड, हैदराबाद तथा राज्य योजनान्तर्गत अनुदान का लाभ प्राप्त हो चुका है, उन्हें चालू वित्तीय वर्ष में राज्य योजना से कोई अनुदान देय नहीं होगा। शेष 727.95 जलक्षेत्र के 875 आवेदकों को प्रथम बार राज्य योजना से लागत इकाई का 10 प्रतिशत अर्थात ₹363.975 या ₹ 363.98 लाख सब्सिडी स्वरूप दिए जाएँगे, शेष 40 प्रतिशत अनुदान राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड, हैदराबाद द्वारा दिया जाएगा। स्वीकृत राशि जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा मत्स्य पालक विकास अभिकरण के माध्यम से योजना के सफल कार्यान्वयन पर उपयोग करेंगे।

4) (क) राज्य में पहली बार जलाशयों/नदियों में केज निर्माण कर मत्स्य पालन करने का प्रस्ताव है। इनमें पालन मात्स्यिकी नहीं किए जाने के कारण इनकी उत्पादकता काफी कम है। इन जलाशयों/नदियों में केज अधिष्ठापित कर इनमें अंगुलिकाओं का संचयन

करते हुए इन्हें पालन मास्यिकी के अन्तर्गत लाया जाएगा ताकि इनके मत्स्य उत्पादन क्षमता का सही उपयोग किया जा सके।

(ख) केज का आकार 10'x20'x8' होगा तथा पूरा केज 14 गेज के पाईप का होगा। केज की इकाई लागत ₹ 0.50 लाख निर्धारित है जिसपर 50 प्रतिशत अर्थात् ₹ 0.25 लाख एक बार ही सब्सिडी देय होगा जबकि शेष 50 प्रतिशत राशि लाभूक के अंशदान अथवा बैंक ऋण से वहन होगा। केज का आकार 10'x20'x8' होगा तथा पूरा केज 14 गेज के पाईप का होगा। लाभूकों का चयन समाचार पत्रें में विज्ञापन निकाल कर जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा। मत्स्यजीवी सहयोग समिति के सदस्यों के साथ ही साथ मत्स्य कृषक भी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत गठित राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति द्वारा इस योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 में ₹ 46.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। स्वीकृत राशि से राज्य के चयनित जिलों में 184 केज पर सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा। जिलावार लक्ष्य का निर्धारण विभाग के द्वारा किया जाएगा एवं स्वीकृत राशि लक्ष्यानुसार जिलों को आवंटित की जाएगी।

5) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के द्वारा राज्य में पहली बार मछली की नई प्रजाति Tilapia Nilotica के पालन की अनुमति प्रदान की गई है। Tilapia Nilotica के केवल नर प्रजाति के पालन की योजना है। प्रति हे0 इकाई लागत ₹ 2.82 लाख निर्धारित किया गया है। निर्धारित इकाई लागत में प्रति हे0 50000 मत्स्य अंगुलिकाओं के संचयन हेतु (प्रति अंगुलिका ₹ 2.00 की दर से) कुल ₹ 100000, प्रति हे0 250 कि0ग्रा0 चूना के लिए (प्रति कि0ग्रा0 ₹ 5.00 की दर से) कुल ₹ 1250.00, प्रति हे0 5000 कि0ग्रा0 गोबर के लिए (प्रति कि0ग्रा0 ₹4.00 की दर से) कुल ₹ 2000, प्रति हे0 7000 कि0ग्रा0 मत्स्य आहार के लिए (प्रति कि0ग्रा0 ₹ 25.00 की दर से) कुल ₹ 175000 एवं दवाईओं तथा रसायन के लिए प्रति हे0 ₹ 5000 व्यय का अनुमान है। राज्य सरकार के द्वारा चयनित लाभूकों को इस योजनान्तर्गत 50 प्रतिशत अर्थात् ₹ 1.41 लाख एक बार सब्सिडी दिया जाएगा। राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत गठित राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति द्वारा इस योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 में ₹ 108.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। स्वीकृत राशि से कुल 77 हेक्टेयर जलक्षेत्र में Tilapia Nilotica के पालन पर सब्सिडी दिया जाएगा।

6) लाभूकों का चयन राज्य स्तरीय समाचार पत्रें में विज्ञापन प्रकाशन के उपरांत जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा।

7) इस योजना के तहत होने वाले योजना का व्यय का वहन मुख्य शीर्ष –2405–मछली पालन उप मुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष –101– अन्तर्देशीय मछली मांग संख्या–02–उपशीर्ष–0116 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, विपत्र कोड – **P2405001010116** के तहत विषय शीर्ष 33 01 – सब्सिडी इकाई में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा। स्वीकृत राशि की निकासी **BTC Form** . 42 पर आहरित कर मत्स्यपालक विकास अभिकरण के खाते में रखकर प्रस्तावित योजना क्रियान्वित किया जायेगा।

8) इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सभी जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्यकार्यपालक पदाधिकारी होगे। निदेशक, मत्स्य, बिहार, पटना इसके सर्वोच्च नियंत्री, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होगे।

9) दिनांक–23.10.2013 को सम्पन्न योजना प्राधिकृत समिति की बैठक में इस योजना की स्वीकृति हेतु अनुशंसा की गई है (कार्यवाही संचिका सं0–6एस0एस0(6)66/2013 पृ0–3–1/प0)

10) दिनांक–26.12.2013 को सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में मद् सं0–8 के रूप में शामिल करते हुए स्वीकृति प्रदान की गई है। (संचिका सं0–6एस0एस0(6)66/2013 पृ0–20/टि0)

11) निदेशक, मत्स्य इस योजना के सफल कार्यान्वयन एवं क्रियान्वयन हेतु पूर्णरूपेण जबावदेह होगे तथा योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु अलग से दिशा–निर्देश भी जारी करेंगे।

12) राज्यादेश प्रारूप में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है (संचिका सं0–6एस0एस0(6)66/2013 पृ0–22/टि0 तथा डायरी सं0–शून्य/दिनांक–06.01.14।

13) वित्त विभाग के पत्र सं0–7355 दिनांक–05.10.2007 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र आवश्यक नहीं है।

विश्वासभाजन,

08/01/14

(उपेन्द्र नारायण महतो)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः–6एस0एस0(6)66/2013 84 /पटना–15, दिनांक–8/1/ /2014

प्रतिलिपिः–अनुलग्नक की प्रति के साथ संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08/01/14

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–6एस0एस0(6)66/2013 84 /पटना–15, दिनांक– 8/1/ /2014

प्रतिलिपिः–अनुलग्नक की प्रति के साथ वित्त विभाग (योजना एवं बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, पशु एवं मत्स्य संसाधन, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08/01/14

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–6एस0एस0(6)66/2013 84 /पटना–15, दिनांक– 8/1/ /2014

प्रतिलिपिः–अनुलग्नक की प्रति के साथ सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08/01/14

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–6एस0एस0(6)66/2013 84 /पटना–15, दिनांक– 8/1/ /2014

प्रतिलिपिः–अनुलग्नक की प्रति के साथ संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–कार्यपालक पदाधिकारी/ निदेशक, मत्स्य, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08/01/14

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–6एस0एस0(6)66/2013 84 /पटना–15, दिनांक– 8/1/ /2014

प्रतिलिपिः–अनुलग्नक की प्रति के साथ विभागीय बजट शाखा/मत्स्य निदेशालय के बजट शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08/01/14

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–6एस0एस0(6)66/2013 84 /पटना–15, दिनांक– 8/1/ /2014

प्रतिलिपिः–अनुलग्नक की प्रति के साथ विभाग के सभी पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी/योजना शाखा कार्यवाह सहायक को अतिरिक्त पाँच प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08/01/14

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–6एस0एस0(6)66/2013 84 /पटना–15, दिनांक– 8/1/ /2014

प्रतिलिपिः–अनुलग्नक की प्रति के साथ सचिव के प्रधान आप्त सचिव पशु एवं मत्स्य संसाधन, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

08/01/14

सरकार के अवर सचिव।

व्यय विवरणी

चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत पंगेशियस मछली के पालन पर होने वाले संभावित व्यय का व्यय विवरणी :–

(₹ लाख में)

क्र0सं0	इकाई का नाम	राशि
1	33 01 सब्सिडी	517.98
कुल		**517.98**

(पाँच करोड़ सत्तरह लाख अंठानवे हजार)

8/1/2014

(उपेन्द्र नारायण महतो)
सरकार के अवर सचिव